राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस–नोट

क्रमांक : एफ.6–ए(01) परीक्षा 'क'/प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा)/RPSC/2022–23/ 349 दिनांक : 19.7.2023

आयोग द्वारा प्राध्यापक–(स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा–2022 के अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच हेतु जारी विचारित सूचियों में सम्मिलित अभ्यर्थियों की प्रथम चरण की काउंसलिंग आयोजन उपरांत **द्वितीय चरण में सम्मिलित विषयों–हिन्दी व कृषि** हेतु जारी की गई विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच हेतु काउंसलिंग आयोजित की जा रही है। द्वितीय चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच का कार्य **कांउसलिंग स्थल–राजस्थान लोक सेवा आयोग, घूघरा घाटी, अजमेर (राज0)** में आयोजित किया जाना है। उक्त काउंसलिंग में सम्मिलित अभ्यर्थियों हेतु काउंसलिंग कार्यक्रम, विस्तृत आवेदन पत्रों के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश, काउंसलिंग पत्र व अन्य प्रपत्रादि आयोग की वेबसाईट **http://rpsc.rajasthan.gov.in** पर जारी किये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी संबंधित विषय की काउंसलिंग दिनांक से 07 दिवस पूर्व आयोग की वेबसाईट से डाउनलोड कर काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार भरे हुए विस्तृत आवेदन पत्र की दो प्रतियों मय स्वप्रमाणित दस्तावेजों की एक प्रति व मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित दिनांक व समय पर अभ्यर्थी व्यक्तिशः काउन्सलिंग हेतु उपस्थित होवें। अभ्यर्थियों को विषयवार/रोल नम्बर–वाईज निर्धारित दिनांक व समय पर काउन्सलिंग हेतु जारी कार्यक्रमानुसार, काउंसलिंग स्थल पर स्वयं उपस्थित होना है।

काउंसलिंग के प्रथम चरण का कार्यक्रम विषयवार/दिनांकवार निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	प्राध्यापक पद का विषय	परिणाम (विचारित–सूची) में सफल अभ्यर्थियों के रोल नम्बर		काउन्सलिंग की दिनांक	अभ्यर्थियों की संख्या
1	हिन्दी	300021	321525	31.07.2023	300
		321535	344917	01.08.2023	300
		345005	361046	02.08.2023	300
		361068	380098	03.08.2023	300
		380168	404874	04.08.2023	300
		405075	432260	07.08.2023	300
		432311	441603	08.08.2023	300
		441611	451851	10.08.2023	300
		451855	480142	11.08.2023	300
		480158	514119	14.08.2023	286
2	कृषि	100149	289704	16.08.2023	101

इस हेतु अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा पृथक से कोई ऑफलाईन पत्र जारी नहीं किया जायेगा। आयोग द्वारा आगामी काउन्सलिंग संबंधी सूचना प्रेस–नोट द्वारा जारी कर दी जावेगी।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थी आयोग द्वारा अपलोड किये गये 02 पात्रता प्रपत्रों व काउन्सलिंग–पत्र के साथ अभ्यर्थियों के आवश्यक दिशा–निर्देशों को डाउनलोड कर उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

कांउसलिंग हेतु अभ्यर्थी निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व कांउसलिंग स्थल पर उपस्थित होवें अन्यथा अभ्यर्थी को काउन्सलिंग से वंचित कर दिया जायेगा, इस हेतु अन्य कोई अवसर देय नहीं होगा। कांउसलिंग मे अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी अन्तिम परिणाम में विचारित नहीं किए जाऐंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। काउन्सलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

(आशुतोष गुप्ता)
सचिव